फतेहगढ़ पुलिस

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

प्रेस नोट – थाना जहानगंज

दिनांक – 22.08.2026

थाना जहानगंज पुलिस द्वारा बकरा चोरी की घटना का सफल अनावरण, 03 अभियुक्त गिरफ्तार एवं चोरी गये 02 बकरे व घटना में प्रयुक्त टेम्पो बरामद।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्ष में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में मु0अ0सं0 160/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.अजय जाटव 2. अहमदरजा 3. सुनील कुमार जाटव समस्त निवासीगण ग्राम सर्फाबाद थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. अजय जाटव पुत्र सूरजपाल
2. अहमदरजा पुत्र जानमोहम्मद
3. सुनील कुमार जाटव पुत्र रामौतार

समस्त निवासीगण ग्राम सर्फाबाद थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण- दिनांक 20/21.08.2026 की रात को वादी के घर के बरामदे के बाहर चबूतरे पर बंधे 02 बकरों को चोरो द्वारा खोल कर टेम्पो में लाद लेने के सम्बन्ध में वादी की तहरीर पर थाना जहानगंज पर मु0अ0सं0 160/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस बनाम 1.अजय जाटव 2.अहमदरजा 3.सुनील कुमार के विरुद्ध पंजीकृत कराया किया गया था। जिसमें चोरी किये गये बकरों तथा टेम्पो की बरामदगी कर तीनों अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

1. चोरी किये गये 02 बकरे
2. घटना में प्रयुक्त 01 टेम्पो

अभियुक्तगणों का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 160/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ।
2. अन्य थाना/जनपद से जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना जहानगंज पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री कन्हैया लाल
2. पीआरबी 9590

मीडिया सेल फतेहगढ।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना जहानगंज

दिनांक :- 22.08.2026

थाना जहानगंज पुलिस द्वारा 20 लाख रुपये के जेवरात व नगदी चोरी की झूठी सूचना देने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अभियुक्त प्रदीप कुमार उर्फ रिंकू निवासी महरूपुर खार थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार किया गया एवं अभियुक्त की निशानदेही अभियुक्त के अनुसार चोरी गया माल करीव 20 लाख रुपये का जेवर बरामद कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01. प्रदीप कुमार उर्फ रिंकू पुत्र रामफेरे सिंह निवासी महरूपुर खार थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण- दिनांक 21.08.2026 को डायल-112 पर कॉलर/अभियुक्त द्वारा अपने घर में चोरी होने की सूचना दी गई। सूचना पर थाना जहानगंज पुलिस द्वारा मौके पर पहुँचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई। जांच के दौरान प्रथम दृष्टया घटना के संबंध में कुछ तथ्य संदिग्ध प्रतीत हुए। प्रकरण की गहनता से जांच किए जाने पर कॉलर द्वारा झूठी सूचना दिया जाना पाया गया। जिसके सम्बन्ध में उ0नि0 बृजेश यादव थाना जहानगंज द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना जहानगंज पर मु0अ0सं0 162/2026 धारा 305(a) बीएनएस पंजीकृत किया गया है। तथा बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त प्रदीप कुमार उर्फ रिंकू उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मेरी पत्नी पूर्व में घर से गहने अपने मायके ले गई थी। मायके पहुंचने के बाद उसने मुझे बताया कि उक्त गहने कहीं गिर गए हैं। बाद में हम दोनों के बीच झगड़ा होने पर वह गहने वापस घर ले आई थी। मैंने उक्त गहनों को अपनी पत्नी से छिपाने के उद्देश्य से चोरी की झूठी एवं मनगढ़ंत कहानी बनाई तथा डायल-112 पर फोन कर घर से करीब 20 लाख रुपये के गहने एवं नगदी चोरी हो जाने की सूचना दी। मैंने पत्रकारों को भी चोरों द्वारा दिनदहाड़े घर में घुसकर अलमारी का ताला तोड़कर करीब 20 लाख रुपये के जेवरात एवं नगदी चोरी कर ले जाने के संबंध में सूचना दी तथा वीडियो के माध्यम से बयान भी दिया था। मैंने ही अलमारी से गहने निकालकर बड़े बक्से के नीचे छिपा दिए थे, जिन्हें बाद में मौका मिलने पर निकालकर बेचने का मेरा इरादा था। घटना को सही साबित करने के लिए मैंने स्वयं लोहे के सब्बल से अलमारी का लॉक तोड़ दिया था।

बरामदगी का विवरण-

निम्न सभी जेवर सफेद धातु

01. 02 करधनी (एक नई , एक पुरानी)
02. 02 जोडी पतली पायल
03. 01 जोडी मोटी पायल
04. 01 गुच्छा चाबी का
05. 02 साडी पिन
06. 01 अंगूठी मोती लगी
07. 01 अंगूठी सादा
08. 01 सिक्का पुराना

निम्न सभी जेवर पीली धातु

01. 02 मंगलसूत्र मोतियों की माला जिसमें लॉकेट लगे है
02. 01 चैन लॉकेट सहित
03. 02 जेन्ट्स अंगूटी
04. 04 लेडीज अंगूठी
05. 04 चूडियां
06. 02 जोडी झाले
07. 01 नाक की नथ
08. 02 छोटी रिंग कान की
09. 01 झाला
10. 01 हार डोरी के साथ

वर्तमान में अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपये।

अभियुक्त की निशा देही पर 01 लोहे का सब्बल बरामद।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 162/2026 धारा 305(A)/317(2) बीएनएस थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ ।

02. अन्य थाना/जनपद से जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली टीम थाना जहानगंज पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्रीमती पूनम अवस्थी
2. व0उ0नि0 श्री राकेश सिंह
3. उ0नि0 श्री बृजेश यादव
4. का0 अनुज
5. का0 सोनू सिंह

मीडिया सेल फतेहगढ ।

फतेहगढ़ पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

थाना अमृतपुर पुलिस द्वारा थाना राजेपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 119/26 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित/वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर श्रीमान यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में थाना अमृतपुर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान मु0अ0सं0 119/2026 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्त शिवम यादव पुत्र मुनेश यादव निवासी ग्राम जटौराभान थाना जसरथपुर जनपद एटा को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

अभियुक्त शिवम यादव उपरोक्त का अपराधिक इतिहास:-

1.मु0अ0सं0 119/2026 धारा 3(1) गैंग0 एक्ट थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़

2.मु०अ०सं० 11/2025 धारा 109/ 310(2)/317(3)/61(2) बीएनएस व 3/9/25/27(1) आर्म्स एक्ट थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़

3.मु0अ0सं0 56/25 धारा 110/115(2)/118(1)/317(2)/324(4) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर 113 जनपद गौतमबुद्धनगर

मीडिया सेल फतेहगढ़।